

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

## कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no..0294-2418137

क्रमांक एफ 5 ( ) वसु/मुवसं/2022-23/ 8677

दिनांक :- 8/12/2022

निमित्त,

उप वन संरक्षक,  
उदयपुर।

विषय:—Shifting/Modification of 132 kv D/C LILO line for 132 KV GSS Sisarma  
(220 KV Amberi & 132 KV Gogunda Double circuit) 339 Mt. Length.

संदर्भ :- आपका पत्रांक 10344 दिनांक 28.11.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से 0.9153 हैक्टर ट्रांसमिशन लाइन का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण का अवलोकन करने के उपरान्त निम्न सूचना/टिप्पणी अपेक्षित है।

| क्र.सं. | आक्षेप                                                                                                                                                              | प्रत्युत्तर |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1       | प्रकरण के पार्ट-1 में वृक्ष की संख्या शून्य दर्शायी गई, जबकि उप वन संरक्षक की रिपोर्ट में घना जंगल बतलाया है।                                                       |             |
| 2       | प्रस्तावित प्रकरण में एक पोल को वनभूमि में स्थानान्तरित करने से कितने मकानों के ऊपर से यह लाइन हट जायेगी तथा इस बिन्दु से आगे आ रहे मकानों में इसका कोई हल है क्या? |             |
| 3       | प्रस्तावित प्रकरण में नर्सरी रेंज का कोई भवन लाइन के नीचे आयेगा तो उसका विवरण एवं नक्शों पर स्थिति क्या है?                                                         |             |
| 4       | यदि उक्त लाइन वनभूमि में प्रस्तावित है, तो वृक्ष पातन होगा या नहीं? यदि पातन होगा तो कितने वृक्ष? प्रजातिवार विवरण दें।                                             |             |

अतः मूल प्रस्ताव चार प्रतियों में पुनः लौटाये जाकर लेख है कि उक्त बिन्दुओं की पूर्ति कर/यूजर एजेंसी से करवाकर प्रत्युत्तर/टिप्पणी मय नक्शों जिसमें इससे आगे पीछे पोल की स्थिति भी स्पष्ट हो, को भिजवाना सुनिश्चित करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि उक्त वनभूमि में बिना सक्षम स्वीकृति के कोई भी गैरवानिकी कार्य नहीं होवे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार। (मूल पत्रावली 4 प्रतियों में)

भवदीय,

  
 (आर.क.सिंह)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
उदयपुर।

क्रमांक पत्रा 5( ) वसु/मुवसं/2020-21/ 8678

दिनांक :- 8/12/2022

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (टी. एण्ड सी.), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पटेल सर्कल, उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

  
 संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
 उदयपुर।